न्या० उपखण्ड अधिकारी उच्चैन मु.न. 20/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सीता बनाम रामजीलाल वगै.
13/11/24	पत्रावली पेश हुई अधि० उभयपक्ष उपस्थित हेतु समय चाहा है एवं अवसर दिया जाता है पत्रा० दिनांक 14/11/24 को पेश हो। Rahul.
14/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० अधि० प्रार्थी ने पार्ट नम्बर 3 के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली है उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/11/24 को पेश हो। Rahul.
27/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 29/11/24 को पेश हो Rahul.
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 02/12/24 को पेश हो Rahul उपखण्ड अधिकारी, उच्चैन (भरतपुर)
02/12/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 10/12/24 को पेश हो।
10/12/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 20/2024

1. सीमा पुत्री पुष्कर सिंह जाति गूजर निवासी चुरारी गूजर तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थीया

वनाम

1. रामजी लाल पुत्र भंवर सिंह
2. पुष्कर सिंह
3. समय सिंह
4. गिर्राजसिंह पुत्रान रामजीलाल समस्त जातियान गूजर निवासी चुरारी गूजर तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री गिरधर छावडी एडवोकेट अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः--10.12.2024

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 680/451 रकवा 28 वीघा वाके ग्राम गहलउ प्रार्थीया के पूर्वजों की छोडी हुई आराजी है। जिसमें भंवर लाल की मृत्यू के वाद उसके नाम दर्ज आराजी उसके तीनों पुत्रों रामजीलाल, राजेन्द्रसिंह, व किशनसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। रामजीलाल प्रार्थीया के परिवार का कर्त्ताखानदान रहा है जिसके कारण समस्त आराजी का इन्द्राज रामजीलाल के नाम हो रहा है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीया के जन्म लेते ही विवादित आराजी को अपने माता पिता के माध्यम से काश्त कर रहा है तभी से प्रार्थीया विवादित आराजी की वहैसीयत खातेदार मौके पर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी को प्रार्थीया के काश्त करने में झगडा करते है व आराजी से अप्रार्थीगण प्रार्थीया को वेदखल करने पर तुले हुये है व शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देते है अप्रार्थीगण दिनांक 10.03.2016 को मौके पर आगये तथा विवादित आराजी से प्रार्थीया को वेदखल करने लगे व आराजी पर जवरन कब्जा करने लगे एवं प्रार्थीया को मौके से वेदखल करने की धमकी दी है। अप्रार्थीगण के द्वारा दी गई धमकी के कारण प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण

Rahul Shrivastava
10/12/24
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

को ताफैसला बाद रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतू पावंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में पेश सजरा सही नहीं है इसमें रामजीलाल की पुत्री कमलेश को सजरा में नहीं दर्शाया गया है। विवादित आराजी पर प्रार्थीया एवं उसके माता पिता का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है एवं विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ही काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 सम्मलित रूप से काविज व दखील रहकर स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग–उपभोग करते थे अप्रार्थीगण रामजीलाल विवादित आराजी का खातेदार है रामजीलाल एक बृद्ध व्यक्ति है उक्त रामजीलाल को प्रार्थीया के पिता व माता ने झूठा आश्वासन देकर तहसील कार्यालय उच्चैन ले आया तथा एक फिकशीशियस दानपत्र अपनी पत्नी रामरती जो प्रार्थीया की माता है के पक्ष में विला अदम जानकारी रामजीलाल के राजस्व कर्मचारियों से सैटिंग कर करा लिया जो प्रारम्भ से ही एवईनिशियों वोईड व प्रभाव शून्य है जिस बावत् रामजीलाल द्वारा रामरती वगै0 के विरूद्ध न्यायालय रूपवास में चाराजोही भी अमल में लायी गई है जो आज भी लम्वित है जब उक्त कृत्य की जानकारी अप्रार्थीगण 2 को हुई तो इस मद्दे कई समाज आदि की पंचायत भी आयोजित हुई जब किसी प्रकार झगडा शान्त नहीं हुआ तो अप्रार्थीगण संख्या 2 ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रार्थीया की माता व अप्रार्थी गिर्राज की धर्मपत्नी से कय कर लिया तथा वयनामा रौबरू सब रजिस्ट्रार उच्चैन के समक्ष तहरीर तकनील व तस्दीक कराया गया परन्तु प्रार्थीया व उसके माता पिता एक झगडालू किस्म व मुकदमेबाज व चलते पुर्जा किस्म के व्यक्ति है जो अपने इस झूठी मुकदमाबाजी की आड में अप्रार्थीगण से आबांछित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तथा झूठी मुकदमेबाजी की आड में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 समयसिंह के हक में विवादित आराजी का दाखिला खारिज नहीं होने देना चाहते है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 का जबाव बंद किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीया के पूर्वजों की छोडी हुई आराजी है जिसमें जन्म लेते ही प्रार्थीया को अपने अधिकार प्राप्त हो जाते है एवं प्रार्थीया उक्त आराजी में मौके पर काश्त कर रही है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी का बेचान करना चाहते है जिसके कारण अप्रार्थीगण को रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के लिये पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 2 एवं अप्रार्थी संख्या 4 ने जालसाजी से सम्पूर्ण आराजी का दानपत्र अप्रार्थी रामजीलाल से अपनी पत्नियों के नाम करवा लिया। जब इसके सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 3 की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया एवं पंचायत में हुये निर्णय अनुसार उक्त विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की पत्नि के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 4 को 6–6 बीघा एवं अप्रार्थी संख्या

Rahul Sutar
10/14
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

1 को 3 बीधा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा अप्रार्थीगण के नाम करवा दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ने उक्त आराजी का नामान्तरण अपने नाम खुलबा लिया जबकि अप्रार्थी संख्या 3 की खरीदशुदा आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कॉलीजनपैक्ट कर रिकार्ड का स्टे लगवा दिया जिसके कारण उक्त आराजी का नामांन्तरण अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज नहीं हो सका। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ने जालसाजी कर पेश किया है एवं अप्रार्थी संख्या 3 को परेशान करने की नीयत से पेश किया है प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं जबाव प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 4 के पिता ने जरिये दानपत्र दिनांक 05.09.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की पत्नि के नाम कर दिया। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की पत्नि से जरिये रजिस्टर्ड वयनाम दिनांक 17.09.2014 को खरीद किया है। चुकिं उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद की है उक्त विवादित आराजी का कई बार हस्तांतरण हो चुका है इसलिए उक्त विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति की श्रेणी में नहीं आती है। चुकि उक्त आराजी पैत्रिक नहीं है मेरे मत में इस विवादित आराजी में प्रार्थीया के कोई हक निहित नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava 10/12/24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर